आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
सचिवालय परिसर, देहरादून

संख्याः /DMMC/XIV-669 (209)
देहरादूनः दिनांकः सितम्बर, 2019

किराया वाहन हेतु आमंत्रित निविदा

आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन स्थापित **स्वायत्तशासी संस्थान, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र** हेतु किराये की टैक्सी व्यवस्था के लिए वाह्य स्रोतों से सेवा कराये जाने हेतु देहरादून स्थित निहित कार्य में समक्ष पारंगत एवं प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त फर्मो से निविदायें आमंत्रित की जाती है। सीलबन्द निविदायें रु025,000.00 बन्धक राशि जो एफ0डी0आर के रूप में एक वर्ष के लिए अधिशासी निदेशक, डीएमएमसी के नाम बंधित किया गया हो सहित दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को अपरान्त 3.00 बजे तक आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर स्थित कार्यालय में स्वीकार की जायेंगी। निविदा दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को सांय 4.00 बजे इस प्रयोजन हेतु गठित समिति के सम्मुख खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता यदि चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं।

2– निविदा फार्म एवं निविदा की निर्धारित नियम व शर्ते (वित्तीय एवं तकनीकी प्रस्ताव) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र की वेब साइट www.dmmc.uk.gov.in से डाउनलोड (download) किया जा सकता है।

(अधिशासी निदेशक)
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
सचिवालय परिसर, देहरादून।

निविदा की शर्ते (तकनीकी प्रस्ताव)

1– नाम निविदाताः ....

2– फर्म का नामः..

3– फर्म का पताः..

4– पता निविदाता (स्थायी): ....

5– पत्र व्यवहार का पताः ....

....

....

6– श्रम विभाग की पंजीयन संख्याः ....(अनिवार्य प्रमाण सहित)

7– पैन नम्बर संख्याः ....(अनिवार्य प्रमाण सहित)

8– जीएसटी / एसएसटी संख्याः ....(अनिवार्य प्रमाण सहित)

9– निबन्धक उत्तराखण्ड पंजीयन संख्या ....

(अ) फर्म स्वामी द्वारा स्थायी पते हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(ब) उपरोक्त प्रत्येक पंजीयन के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराने पर निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

(स) वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में आयकर जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ''सरल'' की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

(द) फर्म के पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(च) उपरोक्त क्रमांक 01 से 09 के सम्बन्ध में प्रत्येक जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी कमी के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निविदा निरस्त करने के समुचित अधिकार अधिशासी निदेशक, डीएमएमसी को निहित होंगे।

(छ) किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधिशासी निदेशक, डीएमएमसी को निहित होगा।

(ज) न्यायिक वाद का क्षेत्र मुख्यालय देहरादून होगा।

मैं श्री ....पुत्र श्री............................फर्म स्वामी ....घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा शर्त के अनुरूप दी गयी सभी जानकारी सही है। यदि किसी प्रकार की कोई असत्यता के कारण निविदा निरस्त की जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

हस्ताक्षर निविदाता

निविदा की शर्तें (वित्तीय प्रस्ताव)

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र में किराये का वाहन (Innova और Dizere टैक्सी वाहन) दैनिक/मासिक आधार पर लिए जाने हेतु निम्नानुसार वाहनों का विवरण दिया जाय–

प्रतिमाह किराया–

क्र. सं.	वाहन का मेक/प्रकार	क्रय वर्ष	किराया प्रतिमाह (मैदानी)		किराया प्रतिमाह (पर्वतीय)		वेटिंग चार्जेज	कार्यावधि/समय
			साधारण	ए0सी0	साधारण	ए0सी0		
1.	Innova							
2.	Dizere							

दैनिक किराया–

क्र. सं.	वाहन का मेक/प्रकार	क्रय वर्ष	किराया प्रतिदिन (मैदानी)		किराया प्रतिदिन (पर्वतीय)		वेटिंग चार्जेज	कार्यावधि/समय
			साधारण	ए0सी0	साधारण	ए0सी0		
1.	Innova							
2.	Dizere							

1– एफ0डी0आर0 की संख्या ....

2– एफ0डी0आर0 की धनराशि ....

3– एफ0डी0आर0 की दिनांक ....

4– बैंक/ शाखा का नाम ....

निविदा शर्तें

1– फर्म के पास अपनी कम से कम 04–04 वातानुकूलित (Innova और Dizere टैक्सी वाहन) होने अनिवार्य हैं, जो फर्म स्वामी/स्वामियों के नाम पंजीकृत हों ।

2– वाहनों के मॉडल 2015 से पुराने न हो।

3– फर्म को कम से कम 03 वर्षो का सरकारी कार्यो का अनुभव हो। प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।

4– फर्म को धरोहर राशि के रूप में रु. 25,000.00 का बन्धक–पत्र (एफ.डी.आर.) किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक के माध्यम से बनाकर अधिशासी निदेशक, डीएमएमसी के नाम प्रस्तुत करना होगा।

5– फर्म को अल्प सूचना पर प्रत्येक दशा में उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराना होगा।

6– वाहन पूर्णरूपेण अति विशिष्ठ महानुभावों के अनुरूप सुसज्जित हो तथा वाहन में किसी भी प्रकार की कमी के चलते बदले जाने हेतु करने पर बदलना अनिवार्य होगा।

7– वाहन चालक पूर्णरूप से शिष्टाचार से परिचित हो तथा उसके द्वारा की गयी अभद्रता के लिए फर्म उत्तरदायी होगी।

8– वाहन में किसी भी प्रकार की कर्मी/ दुर्घटना के लिए फर्म अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी एवं किसी भी प्रकार के जानमाल की हानि के लिए फर्म पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगी।

9– किराये के वाहन के यात्रा के दौरान खराब होने की स्थिति में तत्काल उसी स्थान पर अच्छा वाहन उपलब्ध कराना फर्म का उत्तरदायित्व होगा।

10– किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि के लिए फर्म का उत्तरदायित्व निर्धारित होने पर, उसके बन्धक पत्र से राशि की कटौती कर ली जायेगी अथवा जब्त कर ली जायेगी।

11– फर्म का वार्षिक टर्नओवर वर्ष 2018–19 में कम से कम 10,00,000.00 हो, प्रमाण पत्र संलग्न करें।

मैं श्री ....पुत्र श्री............................फर्म स्वामी ....घोषणा करता हूँ कि मुझे उपरोक्त सभी निविदा शर्ते स्वीकार हें एवं उपरोक्त दी गयी जानकारी सही है। यदि किसी प्रकार की कोई असत्यता के कारण निविदा निरस्त की जाती है, तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

हस्ताक्षर निविदाता